न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 32/2019

जीसीएमएस नम्बर : 2019/00087

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
नरेन्द्र सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह जाति राजपुरोहित निवासी विंगरला तहसील रानी, जिला पाली		1. सोहन कंवर पत्नी प्रेमसिंह, जाति राजपुरोहित निवासी विंगरला, तहसील रानी, जिला पाली 2. सरपंच/ग्राम सेवक जरिये ग्राम पंचायत, वरकाणा, तहसील रानी, जिला पाली।

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित।
2. अप्रार्थीया संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

—: निर्णय :—

दिनांक : 30/01/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत बरकाना द्वारा मिसल संख्या 48/201—16 दिनांक 16.02.2016 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 11 दिनांक 03.07.2017 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि मिसल संख्या 22/86—87 की पालना में जैर आराजी का प्रार्थी के पिता रघुनाथ सिंह के पक्ष में पूर्व में पट्टा संख्या 13 दिनांक 04.121987 को जारी किया जा चुका है तथा ग्राम पंचायत ने पूर्व से जारी पट्टे पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। जैर निगरानी पट्टे तथा पूर्व में जारी पट्टे के पड़ौस में समान्ता है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 19.12.2017 को प्रश्नगत पट्टे की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर ग्राम पंचायत ने दिनांक 20.12.2017 को साधारण बैठक में प्रस्ताव संख्या 2 के द्वारा सर्वसम्मती से प्रस्ताव लिया कि अप्रार्थी सोहन कंवर ने तथ्यों को छुपाकर ग्राम पंचायत में आवेदन व शपथ पत्र पेश कर पट्टा बनवा लिया, जिसको निरस्त करने हेतु उन्हें नोटिस भी दिया और उन्होनें कोई जवाब नहीं दिया अतः उक्त पट्टे को निरस्त कर इसकी सूचना सोहन कवंर पत्नी प्रेमसिंह को दी जावे। उक्त भूमि का प्रार्थी का निर्विवाद व पुश्तैनी कब्जा आया हुआ है एवं आज भी वर्णित भूमि पर काबिज है। मौका रिपोर्ट में उभयपक्ष में अपनी—अपनी जगह बैठने का तथ्य अंकित है, बयानों में अन्तर है तथा आपत्ति नोटिस में वल्दियती का अंकन नहीं है। जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज में विहित नियमों की पालना नहीं

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

की है। इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीया ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने नियमों की पालना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। प्रार्थी का आरोप है कि उक्त भूमि का उनके पिता के पक्ष में पूर्व से ही पट्टा बना हुआ है जबकि उस पट्टे की प्रक्रिया का कहीं उल्लेख नहीं है और न ही उस पट्टे के पड़ौस से यह साबित होता है कि पूर्व का पट्टा इसी भूमि का बना हुआ है। हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि उभयपक्ष अपनी–अपनी जगह पर है तथा दोनों के मकान विपरीत दिशा में बने हुये है। उक्त मकान पुराने है एवं मौके पर जमीन खाली नहीं है। प्रार्थी का पालन पोषण अप्रार्थी के द्वारा ही किया गया था चुकि अप्रार्थी के कोई पुत्र नहीं है इसलिये केवल उन्हें परेशान करने की नियत से बिना विधिक आधारों के जैर निगरानी प्रस्तुत की है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने इसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ 458, 1996 DNJ 413, 2000(2) RLW 911, 2018(2) DNJ 497, 2015(1) DNJ 443, पेश कर जैर निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत बरकाना द्वारा मिसल संख्या 48/201–16 दिनांक 16.02.2016 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 11 दिनांक 03.07.2017 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टा पूर्व में जारी पट्टे पर जारी किया गया। जैर निगरानी पट्टे में अंकित पड़ौस अनुसार उत्तर दिशा में मनोहरसिंह पुत्र कल्याण सिंह एवं गणपत सिंह पुत्र मंगलसिंह, दक्षिण दिशा में हमेरसिंह का मकान, पूर्व दिशा में नरेशसिंह का एवं पश्चिम दिशा में निकास दरवाजा एवं रास्ता है। पत्रावली के संलग्न अन्य पट्टा संख्या 13 जो ग्राम पंचायत वरकाणा द्वारा मिसल संख्या 22/86–87 दिनांक 19.01.1987 की पालना में रघुनाथ सिंह के पक्ष में दिनांक 04.12.1987 को जारी किया गया, में अंकित पड़ौस अनुसार उत्तर दिशा में मंगलसिंह पुत्र मूलसिंह का मकान, दक्षिण दिशा में आम रास्ता, पूर्व दिशा में झूझांरसिंह, प्रेमसिंह पुत्र हेमसिंह का मकान तथा पश्चिम दिशा में आम रास्ता व दरवाजा है। इस सम्बन्ध में हस्तगत प्रकरण में विकास अधिकारी पंचायत समिति रानी से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 21.04.2023 एवं न्यायालय हाजा में विचाराधीन अन्य निगरानी याचिका संख्या 55/2019 बअनवान सोहनकंवर बनाम रघुनाथसिंह व अन्य में प्राप्त मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 21.04.2023 के तुलनात्मक अध्ययन से यह प्रमाणित होता है कि जैर निगरानी आराजी का पट्टा पूर्व में रघुनाथ सिंह के पक्ष में जारी किया हुआ है। जिससे यह सुस्पष्ट होता है कि जैर निगरानी पट्टा, पूर्व में रघुनाथ सिंह के पक्ष में जारी पट्टे पर जारी किया गया, जब पूर्व में जारी पट्टा प्रभाव में है तो पश्चातवर्ती पट्टा Ab Initio Void होने से भी अपास्त योग्य है। जिसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अुनसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा –

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)
अति. जिला कलक्टर पाली (राज.)

जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।" इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत ने भी बैठक दिनांक 20.12.2017 प्रस्ताव संख्या 2 के द्वारा जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध जारी होने से सर्वसम्मति से प्रश्नगत पट्टे को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इसलिये हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बरकाना द्वारा मिसल संख्या 48/201–16 दिनांक 16.02.2016 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 11 दिनांक 03.07.2017 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख, ग्राम पंचायत बरकाना को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली